राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारारोड, देहरादून–248013
ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक रा0स्वा0प्रा0/क्लेम मैनेजमेंट/2022-23/614 दिनांक 12 /08/2022

सेवा में,

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/
प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक,
प्रा0स्वा0 केन्द्र/सामु0स्वा0केन्द्र/उपजिला चिकित्सा/
जिला चिकित्सालय/बेस चिकित्सालय
उत्तराखण्ड।

महोदया/महोदय,

कृपया राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2022 को आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रेफरल दिये जाने के सम्बन्ध में भेजी गयी ई–मेल का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। आयुष्मान योजना के अन्तर्गत जारी शासनादेश सं0 213/XXVVIII-3-2020-04/2008,T.C. दिनांक 4 मई, 2020 में निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान लाभार्थियों के इलाज के लिये चिकित्सालयों से रेफर किये जाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी0एच0सी) के द्वारा लाभार्थी को किसी भी सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में रेफर किये जाने का प्रावधान नहीं है। पी0एच0सी स्तर के किसी भी चिकित्सक द्वारा निजी चिकित्सालय हेतु जारी रेफरल मान्य नहीं है। अतः पी0एच0सी0 द्वारा निजी चिकित्सालय को रेफरल जारी नहीं किया जा सकता है।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)द्वारा किसी भी जनपद के निकटतम राजकीय चिकित्सा इकाई जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)/ उप जिला अस्पताल(SDH)/जिला अस्पताल (DH)/सरकारी मेडिकल कॉलेज/AIIMS Rishikesh को ही रेफरल जारी किया जा सकता है।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) /उप जिला अस्पताल(SDH)/ जिला अस्पताल (DH)/सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा (उन बीमारियों के लिये जिनके सम्बन्ध में वह आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है) निजी चिकित्सालय को रेफर नहीं किया जा सकता है।

4. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)/उप जिला अस्पताल(SDH)/जिला अस्पताल (DH) /सरकारी मेडिकल कॉलेज जिन बीमारियों के लिये आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध नहीं है अथवा वह ऐसी बीमारी के उपचार हेतु सूचीबद्ध तो है किंतु किसी विशेष कारण वश (जिसका स्पष्ट उल्लेख रेफरल फार्म में किया जायेगा) उपचार सम्भव नही है तो ऐसी दशा में निम्न चिकित्सा इकाईयों में उपचार हेतु रेफर किया जा सकता है :–
   (a) किसी भी राजकीय चिकित्सालय/राजकीय मेडिकल कॉलेज/AIIMS ऋषिकेश में अथवा
   (b) किसी सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में यदि निकट में कोई राजकीय चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध नही है अथवा किसी विशेष कारण वश ऐसे निकट राजकीय चिकित्सा केन्द्र में रोगी का उपचार सम्भव नही है।

5. शासनादेश सं0 213/XXVVIII-3-2020-04/2008,T.C. दिनांक 4 मई, 2020में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में किये गये रेफरल ही मान्य होंगे। किसी अन्य प्रारूप (जैसे ओ0पी0डी स्लिप या कोई अन्य दस्तावेज) में भरे हुये रेफरल अमान्य होंगे।

6. निर्धारित रेफरल फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है, साथ ही चिकित्सक (एम0बी0बी0एस0) द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। रेफरल फॉर्म में नाम, हस्ताक्षर, पदनाम, मुहर और एम0सी0आई (MCI) पंजीकरण संख्या का उल्लेख भी अनिवार्य रूप से किया जाना है। अपूर्ण/अधूरे रेफरल फॉर्म अमान्य होंगे।

अतः उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्त सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें कि शासनादेश 213/XXVVIII-3-2020-04/2008, T.C.दिनांक 4 मई, 2020 में वर्णित प्रावधानों का पालन करते हुये Referral Format को पूर्ण रूप से भरकर ही रेफर करें।कृपया तद्नुसार शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

12/08/22

संलग्नक : शासनादेश दिनांक 4 मई, 2020

(डॉ0 वागीश चन्द्र काला)
निदेशक क्लेम मैनेजमेंट,

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 वागीश चन्द्र काला)
निदेशक क्लेम मैनेजमेंट,